Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 218–2021/Ext.] CHANDIGARH, WEDNESDAY, DECEMBER 29, 2021 (PAUSA 8, 1943 SAKA)

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 29 दिसम्बर, 2021

संख्या 70/जीएसटी–2.–हरियाणा माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 19)की धारा 9 की उप धारा (3) और उप धारा (4), धारा 11 की उप धारा (1), धारा 15 की उप धारा (5) और धारा 148के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है,परिषद् की सिफारिशों पर, इसके द्वारा, हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 47/एसटी–2, दिनांक 30 जून, 2017 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:–

संशोधन

हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 47/एसटी–2, दिनांक 30 जून, 2017 में, सारणी में,–

(i) क्रम संख्या 3 के सामने, खाना (3) में, 'सेवा का वर्णन' शीर्ष के नीचे, ''या सरकारी प्राधिकरण या सरकारी संस्था'' शब्दों का लोप किया जाएगा;

(ii) क्रम संख्या 3क के सामने, खाना (3) में, 'सेवा का वर्णन' शीर्षके नीचे ''या सरकारी प्राधिकरण या सरकारी संस्था'' शब्दों का लोप किया जाएगा;

(iii) क्रम संख्या 15 के सामने, खाना (3) में,'सेवा का वर्णन' शीर्ष के नीचें, मद (ग) के बाद, निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात्:–

''परंतु इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के माध्यम से प्रदाय की जाने वालीऔर हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19) की धारा 9 की उप–धारा (5) के अधीन अधिसूचित सेवाओं को उपरोक्त मद (ख) और (ग) में दी गई कोई भी बात लागू नहीं होगी'';

(iv) क्रम संख्या 17 के सामने, खाना (3) में, 'सेवा का वर्णन' शीर्ष के नीचें,मद (ड.) के बाद, निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात्:–

''परंतु कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के माध्यम से प्रदाय की जाने वाली और हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19) की धारा 9 की उप धारा (5) के अधीन अधिसूचित सेवाओं को उपरोक्त मद (ड.) में दी गई कोई भी बात लागू नहीं होगी''।

2. यह अधिसूचना प्रथम जनवरी, 2022 से लागू होगी।

अनुराग रस्तोगी,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
आबकारी तथा कराधान विभाग।

HARYANA GOVERNMENT

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

Notification

The 29th December, 2021

No. 70/GST-2.—In exercise of the powers conferred by sub-sections (3) and (4) of section 9, sub-section (1) of section 11, sub-section (5) of section 15 and section 148 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the Governor of Haryana, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendments in the Haryana Government, Excise and Taxation Department, Notification No.47/ST-2, dated the 30th June, 2017, namely:-

AMENDMENT

In the Haryana Government, Excise and Taxation Department, Notification No.47/ST-2, dated the 30th June, 2017, in the TABLE, -

(i) against serial number 3, in column (3),in the heading " Description of Services" , the words "or a Governmental authority or a Government Entity" shall be omitted;

(ii) against serial number 3A, in column (3), in the heading " Description of Services ", the words "or a Governmental authority or a Government Entity" shall be omitted;

(iii) against serial number 15, in column (3), in the heading " Description of Services ", after item (c), the following proviso shall be inserted, namely, -

"Provided that nothing contained in items (b) and (c) above shall apply to services supplied through an electronic commerce operator, and notified under sub-section (5) of Section 9 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017).";

(iv) against serial number 17, in column (3), in the heading " Description of Services ", after item (e), the following proviso shall be inserted, namely, -

"Provided that nothing contained in item (e) above shall apply to services supplied through an electronic commerce operator, and notified under sub-section (5) of section 9 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017)."

2. This notification shall come into force with effect from 1st day of January, 2022.

ANURAG RASTOGI,
Additional Chief Secretary to Government Haryana,
Excise and Taxation Department.

9434—C.S.—H.G.P. Pkl.